चीन लोक गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में भारत गणराज्य के प्रधान कौंसलावास के रखरखाव के संबंध में चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद 'दो पक्ष' कहा गया है), दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करने और कौंसली संबंधों का संवर्धन करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

1. चीन लोक गणराज्य की सरकार भारत गणराज्य की सरकार को इस बात की मंजूरी देगी कि वह चीन लोक गणराज्य की सरकार के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में अपने प्रधान कौंसलावास का रखरखाव करे ।

2. चीन लोक गणराज्य की सरकार भारत गणराज्य की सरकार के प्रधान कौंसलावास के कौंसली क्रियाकलापों को अंजाम देने में उसे 24 अप्रैल, 1963 के कौंसली संबंधों से संबंधित वियना अभिसमय और चीन लोक गणराज्य के संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक सहायता तथा सुविधा प्रदान करेगी ।

3. चीन लोक गणराज्य की सरकार ने इस तथ्य पर गौर किया है कि हांगकांग स्थित भारत गणराज्य का प्रधान कौंसलावास सहप्रत्यायन के तौर पर मकाउ में भी कौंसली कार्य सम्पन्न करता है और इस बात पर सहमत हो गई है कि 20 दिसम्बर,1999 से मकाउ पर चीन लोक गणराज्य की प्रभुसत्ता फिर से कायम हो जाने के बाद यह व्यवस्था जारी रहेगी ।

4. चीन लोक गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में भारत गणराज्य के प्रधान कौंसलावास का संचालन इसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों सहित 24 अप्रैल, 1963 के कौंसली संबंधों से संबंधित वियना अभिसमय द्वारा विनियमित होगा ।

5. दोनों पक्ष अपने बीच के कॉंसली मामलों को समानता और आपसी लाभ के आधार पर मैत्रीपूर्ण और सहयोग की भावना से निपटाएंगे।

6. यह करार । जुलाई, 1997 से प्रभावी होगा । दोनों पक्ष इस तारीख से पहले इस करार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अपनी – अपनी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे और दूसरे पक्ष को तदनुसार सूचित करेंगे ।

आज नई दिल्ली में एक हजार नौ सौ छियानबे के नवंबर माह के २९ वें दिन चीनी,हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो – दो पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । शंका की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

चीन लोक गणराज्य की
सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से